

पारदर्शिता लेखापरीक्षा के लिए रूपरेखा

3. प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस

क्र. सं.	वस्तु	प्रकटीकरण का विवरण	टिप्पणियाँ/संदर्भ बिंदु (पूर्णतः पूरा/आंशिक रूप से पूरा/पूरा नहीं/लागू नहीं होने को पूर्णतः पूरा/आंशिक रूप से पूरा माना जाएगा)
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	3.1.1 जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (i) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो सामान्यतः नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं	1. आईआईआईटी अधिनियम, 2014 और क़ानून: https://iiitk.ac.in/Act-and-Statutes/page 2. अध्यादेश: https://iiitk.ac.in/Rules-and-Regulations/page 3. i) BoG के MoMs : https://iiitk.ac.in/Board-of-Governors/page ii) वित्त मंत्रालय : https://iiitk.ac.in/Finance-Committee/page , iii) बीडब्ल्यूसी के एमओएम : https://iiitk.ac.in/Buildings-and-Works-Committee/page iv) सीनेट के MoMs : https://iiitk.ac.in/Senate/page 4. शैक्षणिक कैलेंडर: (अकादमिक टैब के अंतर्गत उपलब्ध) : https://iiitk.ac.in/Academic-Calendar/page 5. शुल्क संरचना: (शैक्षणिक टैब के अंतर्गत उपलब्ध): https://iiitk.ac.in/Fee-Structure/page
		(ii) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में आम जनता की भागीदारी ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय सी) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण	हां उपलब्ध है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सीनेट, एफसी और बीडब्ल्यूसी के बाह्य विशेषज्ञ नीति निर्माण में इनपुट प्रदान करते हैं। ख) सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक c) लिंक : https://files.iiitk.ac.in/uploads/admin/RTI_APIO_CPIOs_FAA_details_0525.pdf & https://iiitk.ac.in/Non-Teaching-Staff/page & https://iiitk.ac.in/administrative-officers/page
		3.1.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) (i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
		(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (iii) रियायत समझौते. (iv) संचालन और रखरखाव मैनुअल	

		(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के भाग के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज	
		(vi) शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है	
		(vii) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी	
		(viii) निजी क्षेत्र के पक्ष (रियायती आदि) के चयन की प्रक्रिया	
		(ix) पीपीपी परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान	
3.2	क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]	3.2.1 महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक इंटरैक्टिव बनाया जा सके; (i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून (ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें (iii) नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना	सभी महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं: लिंक इस प्रकार हैं: 1 BoG : https://iiitk.ac.in/Board-of-Governors/page 2 एफसी: https://iiitk.ac.in/Finance-Committee/page 3 बीडब्ल्यूसी: https://iiitk.ac.in/Buildings-and-Works-Committee/page 4 सीनेट: https://iiitk.ac.in/Senate/page 1.माता-पिता और विशेषज्ञ का परामर्श एक सतत प्रक्रिया है। 2.सीनेट द्वारा पाठ्यक्रम अद्यतनीकरण और पाठ्यक्रम संशोधन का कार्य किया जा रहा है। 1.माता-पिता और विशेषज्ञ का परामर्श एक सतत प्रक्रिया है। 2.सीनेट द्वारा पाठ्यक्रम अद्यतनीकरण और पाठ्यक्रम संशोधन का कार्य किया जा रहा है।
3.3	सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]	3.3.1 संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग (i) इंटरनेट (वेबसाइट)	हाँ
3.4	सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रारूप [धारा 4(1)(बी)]	3.4.1 सूचना पुस्तिका/हैंडबुक उपलब्ध है (i) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (ii) मुद्रित प्रारूप	(i) हां, कुछ मैनुअल संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं तथा शेष तैयार किए जा रहे हैं।

			(ii) हां, ये सीपीआईओ के पास उपलब्ध हैं
3.5	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]	1.5.1 उपलब्ध सामग्रियों की सूची (i) निःशुल्क	(i) संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी तक पहुंचने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
		3.5.2 (ii) माध्यम की उचित लागत पर	(ii) प्रमाणित प्रतियां आवेदकों को उचित लागत पर भुगतान करके प्रदान की जा सकती हैं